राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 98 / 2023.

उनवांन

1. श्री सुलतानसिंह बागंडा पुत्र श्री मुरलीधर जाति जाट निवासी अजीतगढ़ जिला नीम का थाना।

——————अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

————————रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2023 तहसीलदार श्रीमाधोपुर बाबत् नामान्तरकरण संख्या 3280 ग्राम अजीतगढ़

उपस्थितः– श्री होशियार सिंह बड़सरा एडवोकेट ———————**अपीलान्ट**

निर्णय **दिनांकः– 05.02.2024**

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं. 975 रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 976/2 रकबा 17 ब्रीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 60 बिघा राजस्व ग्राम अजीतगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में दुलारांम पुत्र रघुनाथ के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। दुलाराम पुत्र रघुनाथ ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 976/2 रकबा 17 बीघा 3 विश्वा को जरिये विक्रय विलेख भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्रगण महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विक्रय कर उक्त खरीददार का कब्जा मौके पर सम्भला दिया गया। खसरा नं. 975 रकबा 42 बीघा 17 विश्वा पर दुलाराम पुत्र रघुनाथ काबिज रहा।

नवीन सेन्टलमेन्ट कार्यवाही में खसरा नं. 975 व 976/2 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसर साबिक खसरा नं. 975 के हाल खसरा नं. 1682/0.07, 1683/0.03, 1684/0.10, 1686/0.30, 1687/0.01, 1688/0.39, 1689/0.05, 1690/0.05, 1691/1.18, 1692/0.02, 1693/0.08, 1694/0.27, 1695/0.25, 1696/0.12, 1697/0.10, 1698/0.02, 1699/0.25, 1700/0.49, 1701/0.02, 1702/0.61, 1703/0.46, 1704/0.35, 1705/3.40 व साबिक खसरा नं. 976/2 के हाल खसरा नं. 2099/0.46, 2100/0.24, 2101/0.08, 2102/0.01, 2103/4.52, 2104/0.05, 2105/1.40, 2110/0.34 है0 ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर निर्धारित किये जाकर उसकी खातेदारी दुलाराम पुत्र रघुनाथ के नाम दर्ज की गयी।

भैरूलाल पुत्र घासीराम व जगदीश, रामु पुत्रगण महादेव ने बदनीयती से हाल खसरा नं. 2102 रकबा 0.01 है0, 2103 रकबा 4.52 है0, 2104 रकबा 0.05 है0 किता 3 रकबा 4.58 है0 को साबिक खसरा नं. 976/2 रकबा 17 बिघा 3 विश्वा से बनना बताते हुये [illegible] भू–प्रबन्धक अधिकारी श्रीमाधोपुर से राजस्व अभिलेख में खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली [illegible]। भू–प्रबन्धक अधिकारी को बिना सक्षम न्यायालय की आज्ञा के राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने की कोई अधिकार नहीं था।

राजस्व अभिलेख में उक्त भूमियां की खातेदारी गलत [illegible] से दर्ज होकर खातेदारी इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर अन्तरित व मौका स्वरूप परिवर्तन करने की धमकी मिलने पर उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायतार्थ वाद अनुवानी अनिल आदि बनाम रामूराम आदि प्रकरण संख्या 48/19 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:55 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

श्रीमाधोपुर के यहा नियोजन किया गया। उक्त वाद में सम्पूर्ण औपचारिकताए पूर्ण होकर पक्षकारान को सुना गया व प्रकरण में लिखित व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाकर हाल कृषि भूमि खसरां नं. 2103/1 कुल रकबा 2.9880 है0 में से पश्चिमी तरफ की 0.25 है0 भूमि खसरा नं. 2100 व 2101 के बीच की भूमि के वाद संख्या 48/19 के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद दिनांक 29.09.2023 डिक्री किया गया।

वाद संख्या 48/19 में पारित निर्णय व डिक्री की अनूपालना हेतू विचार न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा इजराय की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर पत्र क्रमांक 34/28 दिनांक 14.12.2023 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी किया गया एवं मुताबिक निर्णय डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड के असल बरामद कर पालना रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 से पूर्व भिजवाये जाने हेतू निर्देशित किया गया।

प्रकरण संख्या 48/19 में पारित निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के अधिनस्थ पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3280 दिनांक 19.12.2023 को तैयार किया जाकर गिरदावर हल्का के समक्ष प्रेषित करने पर निर्णय व डिक्री के मुताबिक नामान्तकरण सही होना वर्णित करते हुए अपनी अभिशंषा वर्णित की गई एवं रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.12.2023 को नामान्तरकरण संख्या 3280 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने पर डिजिटल जमाबन्दी जारी हुई।

नामान्तरकरण संख्या 3280 को अप्रभावी/निरस्त कराने हेतू रेस्पोडेन्ट ने कार्यवाही की गई एवं नामान्तरकरण संख्या 3280 को अपीलान्ट को बिना सुने अस्वीकार करने का आदेश पारित किया गया रेस्पोडेन्ट के उक्त आदेश से अपीलान्ट विक्षुबन्ध होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 3280 ग्राम अजीतगढ़ स्वीकृत होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 22.12.2023 को पारित किया गया विधि विरूद्ध आदेश अपास्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 3280 यथावत् रखे जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई व सूचना बाबत् नोटिस जारी किया गया लगभग एक माह का समय व्यतीत हो चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ही पक्षकार है व मौका फर्द जिसके आधार पर नामान्तरकरण का रिव्यू लिया गया है कि सत्यापित प्रतिलिपी रिकोर्ड पर उपलब्ध है। तहसील कार्यालय से अन्य किसी प्रकार के रिकोर्ड को तलब किये जाने कि कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में बहस सूनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित बिन्दूओं को ही दौहराते हुये तहसीलदार श्रीमाधोपुर कि कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उलंघन बताया व नामान्तरकरण संख्या 3280 बाबत् रिव्यू कर खारिज किया जाता है कि टिप्पणी को अपास्त कर मूल नामान्तकरण आदेश बाबत् स्वीकृती को यथावत रखने हेतु निवेदन किया।

वकील द्वारा कि गई बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें नामान्तरकरण संख्या 3280 बाबत् स्थिति निकल के आती है। नामान्तरकरण संख्या 3280 स्वीकृत कये जाने के बाद एक रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पेश कि गई। जिसमें बिन्दू संख्या 3 :-
''उक्त निर्णय में खसरा नं. 2100 व 2101 के बीच केवल पश्चिमी दिशा कि तरफ 0.25 है0 तरमीम बाबत आदेशीत किया गया था नक्शा आदेश में संलग्न नहीं था किन्तू सहवन से उक्त तरमीम आगे वादी के खसरा नं. 2101 होने से दक्षिणी पश्चिमी कोने में (आंशिक रूप) हो गई। अतः ऑनलाईन तरमीम में त्रृटि (आंशिक) होने से तरमीम नामान्तरकरण [illegible] योग्य है।''
उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा टिप्पणी [illegible] गई।

''मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3280 को रिव्यू करते हुये पुनः भरने कि शर्त पर खारिज किया जाता है।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:55 IST
Reason: SelfAttested

हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट में तरमीम में त्रृटि को दुरस्ती योग्य बताया है जबकि तहसीलदार ने इस तथ्य को नकारते हुये नामान्तरकरण को ही रिव्यू कि श्रेणी में लेकर मौका रिपोर्ट पर ही नामान्तरकरण खारिज करने का निर्णय पारित कर दिया। जबकि रिव्यू के अन्दर किसी भी पीठासीन

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

... खसरा नं. 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा को जारय

अधिकारी के अधिकार बहुत ही सीमित होते है। अगर तरमीम में किसी प्रकार कि त्रृटि थी तो विधिमान्य नियमों में सक्षम न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कि अपील कि जा सकती थी। साथ ही तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3280 को किस समय अवधि में पुनः भरा जाकर तस्दीक किया जावेगा अंकित नहीं किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये कि गयी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के उलंघन कि श्रेणी में आता है। हस्थगत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 3280 को खारिज करने का निर्णय किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3280 बाबत् किया गया निर्णय दिनांक 22.12.2023 :– ''मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3280 को रिव्यू करते हुये पुनः भरने कि शर्त पर खारिज किया जाता है।'' को अपास्त किया जाता है व पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 3280 स्वीकृत आदेश दिनांक 21.12.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय कि प्रति के साथ तहरीर जारी कि जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

उक्त आदेश आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:55 IST
Reason: SelfAttested